



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 1983/वैशाख 15, 1905
No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 1983/VAISAKHA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1983

सा. का. नि. 377(अ).—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पराधीन पत्तन न्यायियों के बोर्ड में इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में कप्तान बी. एस. कुमार के स्थान पर जो इस एसोसिएशन के प्रतिनिधि अब नहीं रहे हैं, श्री एस. के. मेन की नियुक्ति को अधिसूचित करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना

सं सा. का. नि. 287(ई) दिनांक 31-3-1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 10 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

“10. श्री एस. के. सैन—इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन बम्बई।”

[फा. सं. पी. डब्ल्यू/पी. टी. बी. -1/83]

पी. वी. वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1983

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6), of section 3 and sub-section (1) of section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the name of Shri S. K. Sen, elected to be a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Paradip representing the Indian National Shipowners' Association in place of Captain B. S. Kumar who has ceased to represent that Association and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 287(E), dated the 31st March, 1982, namely :—

In the said notification, for serial number 10 and the entries there against, the following shall be substituted, namely :—

“10. Shri S. K. Sen—Representing the Indian National Shipowners' Association, Bombay”.

[F. No. PW/PTB-1/83]

P V. VENKATAKRISHNAN, It Secy.